



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122021-232289
CG-DL-E-31122021-232289

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5081]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 31, 2021/पौष 10, 1943

No. 5081]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 31, 2021/PAUSA 10, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5487(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) पांचवां संशोधन नियम, 2021 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के, उप-नियम (3) के, खंड (घ) में, "31 दिसंबर, 2021 शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, 30 जून, 2022 शब्दों, अक्षरों और अंकों को रखा जाएगा।"

[फा. सं. 25/03/2010-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना संख्यांक का.आ. 844(अ), तारीख 19 नवंबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2346(अ), तारीख 16 जून, 2021 को किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st December, 2021

S.O. 5487(E).—In exercise of the powers conferred by section 6 and section 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Environment (Protection) Rules, 1986, namely: —

1. Short title and commencement.-

(1) These rules may be called the Environment (Protection) Fifth Amendment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in rule 5, in sub-rule (3), in clause (d), *“for the words, letters and figures 31st December, 2021, the words, letters and figures 30th June, 2022 shall be substituted”*.

[F. No. 25/03/2010-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist ‘G’

Note : The principal rules were published vide S.O. 844 (E), dated the 19th November, 1986 and was last amended *vide* notification number S.O. 2346 (E), dated the 16th June, 2021.